

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

**समक्ष : मनोज गोयल  
अध्यक्ष**

प्रकरण क्रमांक अपील 1755-पीबीआर/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 26-03-2014  
पारित द्वारा आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 25/अपील/स्टाम्प/2012-13.

कृष्णपालसिंह पिता रूगनाथ सिंह राजपूत  
निवासी घटगारा तहसील बदनावर जिला धार  
हाल मुकाम सिल्वर हिल्स कॉलोनी धार

.....अपीलार्थी

**विरुद्ध**

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प धार जिला धार म0प्र0

.....प्रत्यर्थी

श्री सरदारसिंह सोलंकी, अभिभाषक, अपीलार्थी  
श्री हेमन्त मुँगी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 25/5/16 को पारित)**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47(क)(5) के अंतर्गत आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश 26-03-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रूगनाथसिंह द्वारा अपने पुत्र अपीलार्थी कृष्णपालसिंह के पक्ष में मुख्यारनामा निष्पादित किया। उक्त मुख्यारनामा 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया। उप पंजीयक द्वारा यह पाते हुये कि उक्त मुख्यारनामे से अपीलार्थी को भूमि विक्रय करने के अधिकार दिये गये है और उसमें अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है कि कितनी अवधि के लिये विक्रय के अधिकार दिये गये हैं, अतः अधिनियम की अनुसूची एक के अनुच्छेद 45 (घ) के अन्तर्गत 7.5% की दर से मुद्रांक






शुल्क देय है, प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 47/बी-103/2009-10 दर्ज कर दिनांक 26-2-2010 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य 15,67,000/- अवधारित करते हुये रुपये 1,17,528/- मुद्रांक शुल्क एवं रुपये 12,681/- पंजीयन शुल्क निर्धारित किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क 1,17,428/- एवं पंजीयन शुल्क 12,681/- जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 26-3-14 को आदेश पारित कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस समय मुख्तारनामा निष्पादित हुआ, उस समय एक वर्ष तक वैध रहने का प्रावधान नहीं था और अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का किसी प्रकार का कोई विक्रय नहीं किया गया है, आज भी भूमि अपीलार्थी के पिता के नाम से ही है, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मुख्तारनामा पर निर्धारित मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष-समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है और इस ओर ध्यान नहीं देकर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में कानूनी भूल की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दस्तावेज का उपयोग होना अथवा नहीं होना महत्वहीन है, यदि दस्तावेज निष्पादित हुआ है, तब उस पर मुद्रांक शुल्क देय होगा । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 48(घ) के अन्तर्गत अपीलार्थी को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया है, परन्तु उनके द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आदेश पारित कर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अनियमितता नहीं की गई है और कलेक्टर ऑफ




स्टाम्प के आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पक्ष में रूगनाथ सिंह द्वारा मुख्त्यारनामा निष्पादित कर प्रश्नाधीन संपत्ति विक्रय करने के अधिकार दिये गये हैं और उक्त मुख्त्यारनामा में अवधि का कोई उल्लेख नहीं है कि वह कितने समय तक प्रभावशील रहेगा, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की अनुसूची एक के अनुच्छेद 45(घ) के अनुसार मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और उपरोक्त निष्कर्ष के साथ आयुक्त द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश 26-03-2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर